

अपील क्रमांक 174/बो.प्र./नि.स./2022
कार्यालय प्रमुख अभियंता (बोधी प्रकोष्ठ)
जल संसाधन विभाग,
शिवनाथ भवन, सेक्टर-19,
अटल नगर, नवा रायपुर

दिनांक /07/2022

अपील प्रकरण क्रमांक 174/बो.प्र./नि.सहा./2022

अपीलार्थी
श्री डी.के. सोनी (अधिवक्ता),
एवं RTI एक्टिविस्ट,
नावापारा अम्बिकापुर सरगुजा (छ.ग.)
मो.नं.-9826152904

विरुद्ध

उत्तरवादी
श्री ए.के. साय,
जनसूचना अधिकारी, कार्यालय
प्रमुख अभियंता, जल संसाधन
विभाग,
नवा रायपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 15.07.2022

1. अपीलार्थी श्री डी.के. सोनी अनुपस्थित।
2. जनसूचना अधिकारी श्री ए.के. साय उपस्थित।
3. प्रकरण संक्षेप: अपीलार्थी श्री डी.के. सोनी (अधिवक्ता) ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 23.5.2022 (जो दिनांक 26.5.2022 को कार्या. प्रमुख अभियंता में प्राप्त हुआ) को आवेदन दिया कि कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन क्र.-2, रामानुजगंज, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज द्वारा पत्र क्र. 1096/व.ले.लि./रा.गंज/2022, दिनांक 11.05.2022, जो वर्ष 2021-22 के दौरान सर्वे कार्य की भुगतान राशि को विविध अग्रिम के रूप में समायोजन कर राशि वसूली करने के संबंध में था, जिसपर कार्यालय प्रमुख अभियंता द्वारा की गई कार्यवाही की सम्पूर्ण जानकारी की प्रमाणित प्रतिलिपि की मांग की गई थी। फिर अपील आवेदन में उन्होंने लेख किया कि जनसूचना अधिकारी द्वारा 30 दिवस के अवधि के अन्दर कोई जानकारी नहीं दी गई। अतः प्रथम अपील आवेदन दिनांक 29.06.2022 प्रस्तुत किया, जो दिनांक 05.07.2022 को प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्राप्त हुआ।
4. अपीलार्थी श्री डी.के. सोनी ने अपने आवेदन पत्र में लेख किया है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा 30 दिवस के अवधि के अन्दर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी और न ही उन्हें कोई सूचना दी गई। उन्होंने जानबूझ कर विलम्ब किये जाने का आरोप भी जनसूचना अधिकारी पर लगाया है। अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपील प्रकरण का निराकरण सुनवाई करने के उपरांत गुण-दोष के आधार पर करने हेतु निवेदन किया गया है।
5. श्री ए.के. साय, जनसूचना अधिकारी द्वारा कार्यालयीन पत्र क्रं. 4112275/117/छ.ग./2022/6692 रायपुर, दिनांक 13.07.2022 में उल्लेख किया है कि नस्ती जानकारी हेतु मुख्य अभियंता (प्रबो.) को दिनांक 2/06/22 को प्रस्तुत किया गया था, किन्तु नस्ती आज दिनांक तक वापस नहीं हुई है तथा नस्ती हेतु बार-बार संबंधित कक्ष से संपर्क किया गया लेकिन अब तक अप्राप्त है। उन्होंने बताया कि स्थापना कक्ष से संबंधित जानकारी 2 पृष्ठ की प्राप्त की गई है।

6. जनसूचना अधिकारी द्वारा आज उपस्थित होकर लिखित में बताया गया कि अपीलार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 26.05.2022 को प्राप्त हुआ। आवेदन प्राप्त होने के दिनांक से 30 कार्य दिवस की अवधि दिनांक 08.07.2022 को पूर्ण होती है। जनसूचना अधिकारी को जानकारी स्थापना शाखा से दिनांक 06.07.2022 को प्राप्त हुआ। परन्तु दिनांक 05.07.2022 को प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने के कारण जानकारी नहीं भेजी गई, यह विचार कर कि सुनवाई दिनांक 15.07.2022 को अपीलार्थी को हाथों-हाथ निःशुल्क दी जावेगी। उन्होंने यह भी बताया कि आवेदक/अपीलार्थी यदि उपस्थित नहीं हुआ तो जानकारी निःशुल्क पंजीकृत डाक से आज ही प्रेषित की जावेगी।

7. चूंकि वांछित जानकारी निःशुल्क प्रेषित की जा रही है। अतः प्रकरण समाप्त किया जाता है।

इस आदेश की प्रति संबंधित पक्षों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। इस आदेश से असंतुष्ट पक्ष, इस आदेश के विरुद्ध 90 दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.) पिन 492002 के कार्यालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।



(वीरेन्द्र तिवारी)

प्रथम अपीलीय अधिकारी,

कार्यालय प्रमुख अभियंता,

जल संसाधन विभाग,


नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

पृ.क्र./174/बो.प्र./नि.स./2022/ 6908

रायपुर, दिनांक 18 / 07 / 2022

प्रतिलिपि:-

1. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस., कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया उक्त आदेश को विभाग के बेबसाईट (RTI) में अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. श्री ए.के. साय, जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री डी.के. सोनी (अधिवक्ता), एवं RTI एक्टिविस्ट, नावापारा अम्बिकापुर सरगुजा (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


(वीरेन्द्र तिवारी)

प्रथम अपीलीय अधिकारी,

कार्यालय प्रमुख अभियंता,

जल संसाधन विभाग,

नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)